FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत...मुकाम..
.......................सन्तोष कुमार..........................बनाम...........................मान सिंह.....................................
किस्म मुकदमा.................225..................नं0 ....सन्.......................2023.....................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11.01.23	वकील अपीलाण्ट उपस्थित। अभिभाषक अपीलाण्ट ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना की। सुना गया। वकील अपीलाण्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.09.2022 को एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया एवं मुकदमें में सुनवाई की आगामी तारीख पेशी दिनांक 26. 12.2022 नियत कर दी, जो कि कानूनी प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार 30 दिन के अंदर एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को निर्णित करना चाहिए था। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करा सकता। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित करने का निवेदन किया। हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है एवं नियमानुसार अन्तरिम आदेश की अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं होती है। वकील अपीलाण्ट, प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर0आर0टी0 2014(1) पेज 409 में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अपील संधारणीय बताते हैं। हमने प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान न्यायिक मस्तिष्क से अध्ययन किया। न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालय के निर्णय का सम्मान तथा पालन करना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर लगभग 03 माह की तारीख पेशी निर्धारित की गयी है, तथा आदिनांक तक उसे अन्तिम तौर पर निस्तारित नहीं किया जाकर तारीख पेशीयॉ निर्धारित की जा रही है। जिसे न्याय की दृष्टि से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त तथ्यो एवं न्यायिक दृष्तान्त की पृष्ठभूमि में, हम अपील अपीलाण्ट संधारणीय योग्य पाते हैं। अतः अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी एवं दर्ज रजिस्टर की जाकर, हम अपील अपीलाण्ट को ग्राहयता स्तर पर ही अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार, पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथी से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें एवं प्रकरण में यथासम्भव एक-एक सप्ताह की तारीख पेशियॉ निर्धारित की जावें। तब	

जावें। तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2022 यथावत रहेगा। तय समय सीमा निकलने पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2022 स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर